छत्तीसगढ़ विधान सभा

दिसम्बर, 2011 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 20 दिसम्बर, 2011 (अग्रहायण 29, 1933)

समय 11:00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. मंत्रि-मंडल के विरूद्ध अविश्वास का प्रस्ताव

श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष, द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा का पुनर्ग्रहण -

''यह सदन मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह एवं उनके मंत्रि-मंडल के विरूद्ध अविश्वास व्यक्त करता है।''

3. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-24, मरवाही से निर्वाचित सदस्य, श्री अजीत जोगी को दिसम्बर, 2011 सत्र में सोमवार, दिनांक 19 दिसम्बर, 2011 से शुक्रवार, दिनांक 23 दिसम्बर, 2011 की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा.

4. वर्ष 2011-2012 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, वर्ष 2011-2012 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन करेंगे.

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री, छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 21 सन् 2011) के पुर:स्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(2) श्री हेमचंद यादव, उच्च शिक्षा मंत्री, छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 22 सन् 2011) के पुर:स्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

क्रमश: 2

(3) श्री हेमचंद यादव, उच्च शिक्षा मंत्री, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक,2011 (क्रमांक 23 सन् 2011) के पुर:स्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(4) श्री चंद्रशेखर साहू, कृषि मंत्री, छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिरक्षण (संशोधन) विधेयक,2011 (क्रमांक 24 सन् 2011) के पुर:स्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

6. वर्ष 2011-2012 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर मतदान

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे:-

दिनांक 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या - 1, 2, 3, 5,6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 55, 56, 58, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 75, 79, 80, 81 एवं 82 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर

3 घंटे **सोलह सौ अठारह करोड़, तिरसठ लाख, चालीस हजार, दो सौ रुपये** की अनुपूरक राशि दी जाये.

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक,2011 (क्रमांक 25 सन् 2011) का पुर:स्थापन करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाये.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये.

रायपुर
दिनांक 19 दिसम्बर,2011

देवेन्द्र वर्मा
सचिव.